(नियम 26)

सहायक कलक्टर मुकाम ओसियां

पुनाराम वगैरह बनाम आसुराम वगैरह

212 नं. 569 सन 2019

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

19 प्रार्थीगण द्वारा जरिए अधिवक्ता प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने बहस में बताया कि वादग्रस्त भूमि ख.न. 109 रकबा 120 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बारा खुर्द में आई हुई है। जिसमें प्रार्थीगण का जन्म से हक व अधिकार है। उक्त भूमि प्रार्थीगण के दादा लूम्बाराम से प्राप्त हुई है। राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं 01 के नाम से दर्ज है। जो प्रार्थीगण को अपने हिस्से से महरूम करने के आशय से भूमि बेचान हस्तांतरण करना चाहते है। तथा बैंक से ऋण लेकर ऋण वापस नहीं भरना चाहते है। तथा भूमि को खुर्दबुर्द करने हेतु उतारू है।

प्रार्थी की बहस पर मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के दादा लूम्बाराम के नाम से दर्ज थी। जिसमें प्रार्थीगण का हक व अधिकार है। अतः अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस कदर पाबंद किया जाता है। कि वादग्रस्त भूमि ख.न. 109 रकबा 120 बीघा 04 बिस्वा ग्राम बारा खुर्द तहसील ओसियां [illegible] बैंक से ऋण प्राप्त नहीं करे एवं बेचान हस्तांतरण नहीं करें।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर, ओसियां

Scanned by CamScanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

तलब किया जाकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 5/2/20 को पेश हो।

[illegible]

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Lal Regar
Date: 2021.07.13 11:01:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner